PSV-DPS/1E/2.30

The House reassembled at thirty minutes past two of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

नेता विरोधी दल (श्री गुलाम नबी आज़ाद): माननीय डिप्टी चेयरमैन सर..

قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) : مانّنے ڈپٹی چیئرمین سر۔۔

श्री उपसभापति: दो मिनट। अभी एक बिजनेस है। पहले उसे पूरा कर लेते हैं, तब आपको मौका देंगे। Message from Lok Sabha, Secretary General.

MESSAGE FROM LOK SABHA

THE NATIONAL TRUST FOR WELFARE OF PERSONS WITH AUTISM, CEREBRAL PALSY, MENTAL RETARDATION AND MULTIPLE DISABILITIES (AMENDMENT) BILL, 2018

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of Rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 20th December, 2018, agreed without any amendment to the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Bill, 2018,

which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 12th December, 2018."

(Ends)

श्री उपसभापति: आज़ाद साहब, आप बोलिए।

नेता विरोधी दल (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : सर, मुझे दो प्वाइंट्स उठाने हैं। मैं लम्बा डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। एक तो जम्मू-कश्मीर के बारे में है कि वहाँ 356 का इस्तेमाल किया गया और किस तरह से जम्मू-कश्मीर में विधान सभा पहले animated suspension में रखी गयी, उसके बाद Governor's Rule रखा गया और अब Central Rule हो गया। सदन चल रहा है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज़ चल रहे हैं, लोक सभा और राज्य सभा, लेकिन यहाँ कोई चर्चा नहीं हो रही है। जिस वक्त Governor's Rule से इसको राष्ट्रपति रूल में लाना चाहते थे, इस पर इस सदन में और दूसरे सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। जम्मू-कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमेशा चर्चा हुई है, लेकिन कभी भी तीन-चार महीने में इतनी ...(व्यवधान)... सुन लीजिए। जब गवर्नमेंट ही disrupt करती है.. मैं गाली तो नहीं दे रहा हूँ, जो हुआ है, जो आपने किया है, यह तो पता चलना चाहिए। अब हर चीज़ पर विपक्ष उठे और आप disrupt करें, तो I am very sorry. तो इस चीज़ के बारे में यहाँ चर्चा होनी चाहिए, दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए।

جناب غلام نبی آزاد : سر، مجھے دو پوائنٹس اٹھانے ہیں۔ میں لمبا ڈسکشن نہیں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو جموں-کشمیر کے بارے میں ہے کہ وہاں 356 کا استعمال کیا گیا اور کس طرح سے جموں-کشمیر میں ودھان سبھا پہلے animated suspension میں رکھی

گئی، اس کے بعد گورنرس رول رکھا گیا اور اب سینٹرل رول ہو گیا۔ سدن چل رہا ہے، پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسیز چل رہے ہیں، لوک سبھا اور راجیہ سبھا، لیکن یہاں کوئی چرچاا نہیں ہو رہی ہے۔ جس وقت گورنرس رول سے اس کو راشٹرپتی رول میں لانا چاہتے تھے، اس پر اس سدن میں اور دوسرے سدن میں چرچا ہونی چاہئے تھی۔ جموں-کشمیر ایک بہت بڑا مدّعا ہے اور ہمیشہ چرچا ہوئی ہے، لیکن کبھی بھی تین-چار مہینے میں اتنی ---(مداخلت)---- سن لیجئے۔ جب گوورنمینٹ ہی disrupt کرتی ہے۔ میں گالی تو نہیں دے رہا ہوں، جو ہوا ہے، جو آپ نے دیا ہے، یہ تو پتہ چلنا چاہئے۔ اب ہر چیز پر وپکش اٹھے اور آپ disrupt کریں گے، تو آئی ایم ویری سوری۔ تو اس چیز کے بارے میں یہاں چرچا نہیں چاہئے، دونوں سدنوں میں چرچا ہونی چاہئے۔

And then the other most important thing which I would like to mention is that an undeclared emergency has taken its final shape. All Central agencies... ...(Interruptions)... एक मिनट ...(व्यवधान)... ایک منٹ All federal agencies have been let loose in the country... ...(Interruptions)...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): डिप्टी चेयरमैन साहब, अभी प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस है। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैं एक मिनट में खत्म करूँगा। میں ایک منٹ میں ختم کروں گا۔

...(व्यवधान)... The fundamental right of the citizens... ...(Interruptions)...

श्री विजय गोयल: सर, अभी प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस है। ...(व्यवधान)... ये इस मामले को क्यों उठा रहे हैं? ...(व्यवधान)... इसको उठाने का कोई मतलब नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्लीज़ ...(व्यवधान)... माननीय नेता विरोधी दल, चूँकि यह प्रसंग सुबह उठा था ...(व्यवधान)...

श्री विजय गोयल: आधार के ऊपर ...(व्यवधान)... हर चीज़ पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: यह Private Members' Resolution अत्यंत संवेदनशील है और यह समाज के लिए महत्व का मामला है। ...(व्यवधान)... मैं इस पर आगे बहस बढ़ाने के लिए, विधवाओं की स्थिति पर बात करने के लिए प्रो. मनोज कुमार झा जी से आग्रह करूँगा कि मनोज झा जी कृपया इस बहस को आगे बढ़ाएँ। ...(व्यवधान)...

श्री विजय गोयल: सर ...(व्यवधान)... सरकार जम्मू-कश्मीर पर ...(व्यवधान)... RBI पर, CBI पर, सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ...(व्यवधान)... We are ready to discuss any issue, whatever issue you want to discuss. ...(Interruptions)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: You cannot implement... ...(Interruptions)... This cannot be done in a democracy. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति: यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। ...(व्यवधान)... मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हम विधवाओं की स्थिति पर बात करने जा रहे हैं। ...(व्यवधान)... यह Private Members' Resolution है। ...(व्यवधान)... यह चीज़ चर्चा में पहले से लिस्टेड है। ...(व्यवधान)... प्लीज़ ...(व्यवधान)... अगर यह स्थिति रही, तो कैसे काम होगा? ...(व्यवधान)...

SHRI VIJAY GOEL: Whatever issue you want ...(व्यवधान)... आप जो भी मुद्दा discuss करना चाहते हैं, ...(व्यवधान)... हम सारे मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : बिजनेस में पहले से Private Member's Resolution पर बहस होनी है। ...(व्यवधान)... हम विधवाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री विजय गोयल: कभी आप यह विषय ले लेते हैं, तो कभी वह विषय ले लेते हैं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय तिरुची शिवा जी के Resolution पर आगे चर्चा होनी है। ...(व्यवधान)... प्रो. मनोज झा जी, मैं आपसे यह आग्रह करूँगा कि यह चर्चा आप आगे बढ़ाएँ। ...(व्यवधान)... अगर कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, तो हम यह सदन कैसे चला सकते हैं? ...(व्यवधान)... मैं प्रो. मनोज झा से आग्रह करूँगा कि वे कृपया अपनी जगह पर जाएँ और विधवाओं की स्थिति के बारे में बोलें। ...(व्यवधान)...

श्री विजय गोयल: सर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : प्रो. मनोज झा, पूरी महिलाओं के लगभग 7 परसेंट से अधिक संख्या विधवाओं की है। ...(व्यवधान)... हम विधवाओं की स्थिति के बारे में बात करने जा रहे हैं। ...(व्यवधान)... अगर इस पर आप चर्चा को आगे बढ़ाएँगे ...(व्यवधान)... विधवाओं

की स्थिति के बारे में चर्चा आगे बढ़ानी है। ...(व्यवधान)... प्लीज़ ...(व्यवधान)... इसके अलावा किसी और विषय पर चर्चा ...(व्यवधान)...

प्रो. मनोज कुमार झा: सर ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : झा साहब, आपका नाम है। ...(व्यवधान)... मैं आग्रह करूँगा कि ...(व्यवधान)... मेरा आप सबसे आग्रह होगा कि ...(व्यवधान)...

(1एफ/एनकेआर पर जारी)

PSV-NKR-KSK/1F/2.35

श्री उपसभापति (क्रमागत) : कृपया एक मिनट , मेरा आप सबसे आग्रह है, ..(व्यवधान).. आप कृपया बैठ जाएं। ..(व्यवधान).. माननीय विपक्ष के नेता बड़े ही सम्मानित हैं, जिन्हें हम सब जानते और समझते हैं। वे अच्छी परम्परा के वाहक हैं। उन्होंने अपनी बात शुरू की,..(व्यवधान).. लेकिन वे भी जानते हैं कि आज Private Members' Resolutions के अंतर्गत चर्चा होनी है और वह चर्चा विधवाओं के बारे में है, जो कुल महिलाओं की संख्या के 7 परसेंट से अधिक है। ..(व्यवधान).. उन पर होने वाली चर्चा आगे बढ़े, इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि महिलाओं के आरक्षण का सवाल हो या विधवाओं की स्थिति पर चर्चा हो, उस पर तो हम बहस करें ! ..(व्यवधान).. उस पर हमें बहस करनी चाहिए।..(व्यवधान)..

मैं यहां एक सूचना देना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में President Rule के approval के लिए सरकार ने एक Statutory Resolution दिया है, जिसे माननीय सभापति जी ने admit कर लिया है। सदन में उस पर चर्चा होगी।..(व्यवधान)..

श्री आनन्द शर्मा : इससे पहले कि सदन के नेता बोलें, हमारी बात सुनी जाए। ..(व्यवधान).. क्योंकि सदन के नेता ने इस विषय में हस्तक्षेप करना स्वीकार कर लिया है, ..(व्यवधान).. अभी नेता प्रतिपक्ष ने जो बात सदन में उठाई है, वह एक गम्भीर विषय है। देश के हर नागरिक के जो मूल अधिकार हैं, Fundamental Rights, Right to Privacy या निजता का अधिकार है, उससे संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है कि जो Right to Privacy है, निजता का अधिकार है, वह मूल अधिकार है, Fundamental Right है। देश की 9 agencies को और दिल्ली पुलिस को एक sweeping power दे दी गई, एक Executive Order से, कि वे किसी की भी जानकारी, ..(व्यवधान).. हर टेलीफोन, हर कम्प्यूटर को intercept करें, monitor करें।..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आप कृपया अपनी बात संक्षेप में रखें।..(व्यवधान)..

श्री आनन्द शर्मा : इस तरह तो भारत पुलिस स्टेट बन जाएगा, जो हमें स्वीकार्य नहीं है। ..(व्यवधान)..

नेता सदन (**श्री अरुण जेटली**) : उपसभापति जी, आज़ाद साहब और आनन्द शर्मा जी ने जो विषय सदन में उठाया है, मैं उनका आभारी हूं क्योंकि तथ्य कुछ ऐसे हैं जो उनके समक्ष और देश के समक्ष भी आने चाहिए। इस विषय को यहां उठाने से पहले बेहतर होता कि विपक्ष पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता। जब विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य ऐसे मामले उठाते हैं, उनके बोले हुए हर शब्द की अपनी एक value होती है। It is precious.

उसके तथ्य क्या हैं, उनके लिए जानना आवश्यक है, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं। ..(व्यवधान)..

जैसा आनन्द जी ने कहा कि हर टेलीफोन, हर कम्प्यूटर - ऐसा नहीं है। आज से 100-150 साल पहले एक कानून बना था - Indian Telegraph Act. उस एक्ट के तहत telegraph, जिसमें telephony थी, उसके बाद आपकी भी सरकार रही, हमारी और दूसरी सरकारें भी रहीं, देश भर में वह कानून चलता रहा। उस कानून के तहत, जहां-जहां national security से संबंधित मसले आते हैं, कुछ agencies को उसमें interception का अधिकार रहा है। उसके लिए agencies notify होती हैं। जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने प्रगति की, उसके बाद कम्प्यूटर instruments आने शुरू हुए, जिसके अंतर्गत आप कम्प्यूटर instruments से भी terrorists को intercept कर सकते हैं। आज से 18 वर्ष पहले Information Technology Act आया। Information Technology Act में Section 69 के तहत, जो भी Constitution के Article 19(2) की restrictions हैं free speech पर, उस कानून को बनाने के बाद, जिसे आपकी सरकारों ने भी प्रयोग किया, अन्य सरकारों और हमने भी किया, वही शब्दावली Article 19(2) से ले ली गई कि national security, Defence of India, public order, integrity of India - जब इनके साथ कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा हो तो authorised agencies को अधिकार होगा, जैसा Telegraph Act में national security के केस में है, वे interception कर सकते थे, जिसके माध्यम से हम terrorists पकड़ते हैं। IT Act में जब वह अधिकार IT instruments के through होगा, वही अधिकार parallel उसमें दिया

गया है। उसके कानून, जब आनन्द शर्मा जी मंत्री थे, उनके समय में, 2009 में UPA सरकार ने बनाए कि वे कौन-सी agencies होंगी, जिन्हें authorize किया जाएगा। वह कानून 2009 में बना, उसके रूल्स बने और उन रूल्स के तहत from time to time वही agencies हैं - IB, CBI, Narcotics agency, DRI, इत्यादि जो notify हो जाती हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी फोन या computer instrument को intercept नहीं कर सकता। जिसका संबंध national security, public order, integrity of India के साथ खिलवाड़ या खतरे का है, उसके लिए ये authorized agencies हैं। तब से लेकर, जब से Act बना है, these orders of authorisation are repeated from time to time.

(Contd. by 1G - DPK/VNK)

VNK-DPK/1G/2.40

श्री अरुण जेटली (**क्रमागत**) **:** 20 दिसम्बर को वही ऑर्डर रिपीट हुआ है, जो 2009 से आपकी सरकार के समय से आज तक चला आया था।...(व्यवधान)... इसलिए इसमें खिलवाड़ कोई नहीं है।...(व्यवधान)... उपसभापति जी, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : पहले मैं दो सूचनाएं दे दूं।...(व्यवधान)... माननीय आनन्द शर्मा जी, पहले मैं दो चीज़ें कह दूं।...(व्यवधान)...

SHRI ARUN JAITLEY: What you are doing Mr. Anand Sharma is making a mountain where even a molehill does not exist. You must know this and the Leader of the Opposition must know that your word is precious, it is

sacrosanct. So, do not use it for a purpose, where a power which has been created by you and which is to be used in national security cases, now you are crying foul about that power.

नेता विरोधी दल (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : सर, मेरे पास यह ऑर्डर है, इसमें कहीं भी national security शब्द का ज़िक्र नहीं है।...(व्यवधान)...

جناب غلام نبی آزاد : سر، یہ میرے پاس آرڈر ہے، اس میں کہیں بھی نیشنل سیکورٹی لفظ کا ذکر نہیں ہے ---(مداخلت)---

श्री अरुण जेटली : ये elementary चीज़ें हैं, यह authorization order है, national security के प्रोविज़न सेक्शन 69 में लिखे हुए हैं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप सभी मेरा यह निवेदन होगा कि कृपया शांति बनाए रखें।...(व्यवधान)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: No, it is a general order. There is no mention of national security. ...(interruptions)...

SHRI ARUN JAITLEY: National security has been mentioned under Section 69. You are playing with the security of the country. That is what you have done till now. ...(interruptions)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद : यह बीजेपी की आदत है।...(व्यवधान)... हर चीज़ में national security ...(व्यवधान).... national security आपकी जायदाद हो गई, बीजेपी की

जायदाद हो गई !...(व्यवधान)... हमारे लिए national security नहीं है!...(व्यवधान)....

جناب غلام نبی آزاد : یہ بی جے پی کی عادت ہے ---(مداخلت)--- ہر چیز میں نیشنل سیکورٹی ---(مداخلت)--- نیشنل سیکورٹی آپ کی جائیداد ہوگئی، بی جے پی کی جائیداد ہوگئی ---(مداخلت)--- ہمارے لئے نیشنل سیکورٹی نہیں ہے ---(مداخلت)---

श्री उपसभापति : मेरा आग्रह होगा कि हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए बैठे हैं, कम से कम हम विधवाओं की स्थिति पर बात करें। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद : जिसने हिन्दुस्तान को आज़ाद कराया, उनके लिए national security नहीं है और जिनका कोई हिस्सा नहीं है, उनके लिए national security...(व्यवधान)...

جناب غلام نبی آزاد : جس نے ہندوستان کو آزاد کرایا، ان کے لئے نیشنل سیکورٹی نہیں ہے اور جن کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے لئے نیشنل سیکورٹی --- ---(مداخلت)----

विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई ...(व्यवधान)... प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, जेपी को जेल में बंद किया, वह आपकी पार्टी रही है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : कृपया नारे न लगाएं, अपनी जगह पर जाएं।...(व्यवधान)... कृपया अपनी जगह पर जाएं।...(व्यवधान)... इस पर आगे कोई बहस नहीं होगी। मैं आग्रह करूंगा कि विधवाओं की स्थिति पर मनोज जी अपनी बात आगे रखें।...(व्यवधान)... मनोज जी, कृपया आप बोलें।...(व्यवधान)... मैं इस विषय पर आगे कोई बहस की

इजाज़त नहीं दे रहा हूँ। कृपया शांति बनाए रखें।...(व्यवधान)... कृपया बैठें।...(व्यवधान)... मनोज कुमार झा जी, कृपया आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं।...(व्यवधान)... इसके अलावा और कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।...(व्यवधान)... हम विधवा महिलाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। मनोज जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं।...(व्यवधान)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, there is no order in the House for raising this. ...(interruptions)...

श्री उपसभापति : श्री रवि प्रकाश वर्मा जी इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं।...(व्यवधान)... रवि प्रकाश जी, आपकी ही बात रिकॉर्ड पर जाएगी, इसके अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।...(व्यवधान)...

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

RESOLUTION RE. BRINGING SUITABLE LEGISLATION FOR WELFARE OF WIDOWS IN THE COUNTRY - CONTD.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (**उत्तर प्रदेश**) **:** सर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर अपनी बात कहने का अवसर दिया।...(व्यवधान)... सर, हिन्दुस्तान में विधवाओं की जो स्थिति है...(व्यवधान)... सर, हाउस को ऑर्डर में करा दीजिए, ऐसे में बोलने से क्या फायदा?...(व्यवधान)... सर, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं और अगर वे सब बातें इस शोर में दब जाएंगी, तो बहुत अत्याचार हो जाएगा।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : कृपया आप बोलिए, आपकी ही बात रिकॉर्ड पर जाएगी।...(व्यवधान)...

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सर, भारतीय समाज में...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : कृपया शांति बनाए रखें।...(व्यवधान)... कृपया आप विधावाओं के बारे में बोलिए।...(व्यवधान)...

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि हिन्दुस्तान की कुल आबादी का लगभग 8 प्रतिशत महिलाएं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मेरा आग्रह होगा कि कृपया शांति बनाए रखें।...(व्यवधान)...

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि हिन्दुस्तान की कुल आबादी का लगभग 8 प्रतिशत महिलाएं ...(व्यवधान)... समाज में इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। ...(व्यवधान)... यह केवल इसलिए कि उनके पति का निधन हो गया है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप दोनों पक्षों से मेरा पुनः आग्रह है कि हम समाज के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)... अगर विधवा महिलाओं के बारे में हम चर्चा नहीं होने दें, तो यह स्थिति क्या संकेत देगी? ...(व्यवधान)... कृपया आप अपनी बात कहिए।...(व्यवधान)...

श्री रवि प्रकाश वर्मा : कृपया आप लोग मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने दीजिए।...(व्यवधान)... यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : रवि प्रकाश जी, कृपया आप अपनी बात कहें।...(व्यवधान)...

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सर, भारतीय समाज में विधवाओं की जो स्थिति है, लगभग वैसी ही स्थिति परित्यक्त महिलाओं की भी है।...(व्यवधान)... सर, हाउस को ज़रा ऑर्डर में करवा दीजिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप बोलिए।...(व्यवधान)...

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सर, हमारी बात कायदे से नहीं जा रही है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप बोलिए, देश देख रहा है कि अगर हम विधवा महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो सदन में क्या स्थिति है।...(व्यवधान)...

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सर, हम विधवाओं के बारे में कह रहे हैं और उनके साथ ही जो परित्यक्त महिलाएं हैं, उनके बारे में भी कहना चाहते हैं।...(व्यवधान)... उनकी भी स्थिति विधवाओं के समान ही है।...(व्यवधान)...

(1एच/जीएसपी पर जारी)

RK-GSP/1H/2.45

श्री रवि प्रकाश वर्मा (**क्रमागत**) : सर, उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनके पति ने उन्हें किसी कारणवश छोड़ दिया है।...(व्यवधान)...आज उनको परिवार का सहारा नहीं मिल रहा है।...(व्यवधान)...वे भी विधवाओं की तरह जी रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों समाज की संवेदना उनकी तरफ नहीं मुड़ पा रही है?...(व्यवधान)...मुझे अफसोस होता है कि हमारा मीडिया और समाज भी परित्यक्त महिलाओं की तरफ नहीं देख पा रहा है।...(व्यवधान)...सर, यह पितृसत्तात्मक समाज है।...(व्यवधान)...यहाँ संपत्तियों और सत्ता के हथियार पिता के हाथ में होते हैं और जब भी कभी पिता की मौत हो जाती

है, तो परिवार की संपत्ति और सत्ता नौजवान बेटों के हाथ में चली जाती है।...(व्यवधान)...उनकी माँ, जो विधवा होती है, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है।...(व्यवधान)...सर, आज स्थिति यह है कि हिन्दुस्तान में बहुत कम परिवार ऐसे बचे हैं, जहाँ कोई विधवा नहीं है।...(व्यवधान)...कहीं माँ विधवा है, कहीं बेटी विधवा है, कहीं बहन विधवा है, कहीं पुत्रवधू विधवा है, विधवाओं का समाज बहुत बड़ा है।...(व्यवधान)...सर, बहुत अफसोस की बात है कि सरकार ने विधवाओं की स्थिति को देखते हुए पर्याप्त समाधान नहीं किए हैं।...(व्यवधान)...जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उनसे यह पता लग रहा है कि लगभग 60 प्रतिशत विधवाएं उस तबके से आती हैं, जो unorganized sector है।...(व्यवधान)...सर, यह बहुत चिंताजनक बात है।...(व्यवधान)...आप लोग बात कहने दीजिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप बोलिए।...(व्यवधान)...आप बोलिए।...(व्यवधान)...

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सर, मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, इनसे बोलिए, सही हो जाएं।...(व्यवधान)...सर, आप इनको आर्टिकल 259 के तहत सज़ा दीजिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : अगर पूरा सदन सहमत है, तो मैं कर सकता हूँ।...(व्यवधान)...पर होता यह है कि इसके लिए एक पक्ष सहमत होता है, दूसरा नहीं होता है।...(व्यवधान)...

श्री रवि प्रकाश वर्मा : इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप महत्वपूर्ण विषय पर बोल रहे हैं।...(व्यवधान)...रवि जी, आप बात आगे बढ़ाएं।...(व्यवधान)...प्लीज़, प्लीज़...(व्यवधान)... प्लीज़, प्लीज़...(व्यवधान)...महिलाओं के बारे में बात हो रही है।...(व्यवधान)...

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सर, यह इतनी बड़ी समस्या है कि ज्यादातर विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है।...(व्यवधान)...इनकी संपत्ति, जो इनके नाम आ जानी चाहिए थी, उसमें हेराफेरी होती है और परिवार के दूसरे लोग उस पर अपना अधिकार जता देते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं।...(व्यवधान)...यह बड़ी दुखद स्थिति है कि काशी में, वृंदावन में जो विधवाएं छोड़ी गई हैं, वे ज्यादातर समाज के संभ्रांत तबके की महिलाएं हैं, जिनके साथ अन्याय हो गया है।...(व्यवधान)...सर, जिस तरीके से गाय का दूध समाप्त हो जाने के बाद लोग उसे खाली छोड़ देते हैं, ऐसा ही सलूक लोगों ने माता के साथ भी किया है।...(व्यवधान)...जब लगता है कि उनकी उपयोगिता पूरी हो गई है, तो वे उनको विधवा आश्रम में छोड़ आते हैं।...(व्यवधान)...सर, यह हमारे समाज का बहुत ही अपरिहार्य अंग है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मेरा आप सभी से फिर आग्रह होगा कि आप सभी बैठ जाएं।...(व्यवधान)...रवि जी, आप बोलें।...(व्यवधान)...

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सर, हमारे लिए अपनी माताओं, बहनों की सुरक्षा, उनके social security issues बहुत महत्वपूर्ण हैं। ...(व्यवधान)...मैं भी आदरणीय तिरुची शिवा जी के साथ इस बात का आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारी विधवा महिलाओं या परित्यक्त

महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए एक स्पष्ट कानून बनाया जाए।...(व्यवधान)...यह बाध्यता की जाए, यह लाज़िमी बना दिया जाए कि जो भी लोग, जो भी समाज इन महिलाओं की उपेक्षा करेगा या इनके ऊपर अन्याय करेगा, वह सज़ा का भागी होगा।...(व्यवधान)...आज की तारीख में जो महिलाएं विधवा आश्रमों में रह रही हैं, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि सरकार ने उनके लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं किए हैं।...(व्यवधान)...सर, मुझे लगता है कि एक आयोग बनाकर विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करवाया जाए और उनकी आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनको सम्मानजनक जीवन दिलाने के लिए विशेष कानून बनाने का प्रयास किया जाए, धन्यवाद।...(व्यवधान)...

(समाप्त)

(1J-DS पर आगे)

DS-BHS/2.50/1J

श्री उपसभापति : मनोज कुमार झा जी, कृपया आप अपनी जगह पर जाएँ और बोलें। ...(व्यवधान)...आप इसके पहले स्पीकर हैं।...(व्यवधान)... मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी जगह पर जाएँ और बोलें।...(व्यवधान)...श्री के.टी.एस. तुलसी।...(व्यवधान)... मेरा पुनः निवेदन है कि आज हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)... चाहे महिलाओं के आरक्षण का सवाल हो, विधवा महिलाओं का सवाल हो, कम से कम इस पर तो हम एकमत बनें और बात करें ! ...(व्यवधान)... श्री

टी.के.एस. एलंगोवन। ...(व्यवधान)... प्लीज़ ...(व्यवधान)... आप बोलिए।...(व्यवधान)...

SHRI T.K.S. ELANGOVAN: Sir, the House is not in order. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are listening it. ...(Interruptions)... Only your speech would come on the record. ...(Interruptions)... Only your speech would be on record. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)...

SHRI T.K.S. ELANGOVAN: Sir, it is an important issue pertaining to widows, one great section of the society. ...(Interruptions)... But how can I speak when the House is not in order? ...(Interruptions)... Sir, please bring the House in order. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You speak as only your speech is going on record. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)...हम सदस्यों से जिस आचरण की अपेक्षा की जाती है, यह उसके अनुकूल नहीं है। ...(व्यवधान)... इस तरह से ताली बजाना और कहना...(व्यवधान)...प्लीज़, आप अपनी जगह पर जाएँ। ...(व्यवधान)... हम सदस्यों से इस सदन में जिस कंडक्ट की अपेक्षा की गई है, हम वैसा आचरण नहीं कर रहे हैं। कृपया अपनी जगह पर जाएँ।...(व्यवधान)... मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि लगभग सात दिन हो गए और आज यह आठवाँ दिन है, लेकिन हम देश की सर्वोच्च गरिमापूर्ण संस्था, यानी उच्च सदन के सदस्य मिल रहे हैं और सदन

नहीं चला पा रहे हैं।...(व्यवधान)...कृपया अपनी जगह पर जाएँ।...(व्यवधान)...मैं पुनः उल्लेख करना चाहूँगा कि स्पेशल मेंशन, कॉलिंग अटेंशन और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे चेयरमैन द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।...(व्यवधान)...कृपया अपनी जगह जाएँ और यह चर्चा, जो कि विडोज़ पर हो रही है, इसको कम से कम हम होने दें।...(व्यवधान)...

SHRI T.K.S. ELANGOVAN: Sir, please bring the House in order. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति : मैं आग्रह करूँगा कि इस विषय पर कोई वक्ता अब और नहीं हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी अपनी बात रखें।...(व्यवधान)...

SHRI T.K.S. ELANGOVAN: Sir, please bring the House in order. ...(Interruptions)...

विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : सर, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि जो आतंकवाद के लिए कम्प्यूटर का दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।...(व्यवधान)... राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति यह कौन-सी बात की जा रही है? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मेरा आप सबसे निवेदन होगा कि आप लोग बैठें।...(व्यवधान)... माननीय मंत्री जी...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, ...(व्यवधान)... अत्यंत जरूरी है और उसी के लिए यह कार्रवाई की गई है।...(व्यवधान)... इसका कोई

दुरुपयोग नहीं होगा।...(व्यवधान)... मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न करें।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप जवाब दें। ...(व्यवधान)... माननीय मंत्री जी इस विषय पर बोलें।...(व्यवधान)...

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वीरेन्द्र कुमार) : उपसभापति जी, एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर तिरुची शिवा जी द्वारा इस संकल्प को लाया गया है।...(व्यवधान)...सरकार इस विषय में पहले से ही काफी कुछ कर रही है और देश भर में लगभग 416 स्वाधार-गृह चल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Mr. Deputy Chairman, Sir. ...(Interruptions)... Sir, this is not.....(Interruptions)...

डा. वीरेन्द्र कुमार : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 416 स्वाधार-गृह चलाए जा रहे हैं, जिनमें ऐसी महिलाएँ रहती हैं, जो परिस्थितियों की शिकार होती हैं, जिनको पुनर्वास की आवश्यकता है। ...(व्यवधान)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, no. ...(Interruptions)... Mr. Deputy Chairman, Sir, no. ...(Interruptions)... I am not able to hear anything. ...(Interruptions)...

डा. वीरेन्द्र कुमार : ये स्वाधार-गृह इसलिए बनाए गए हैं, ताकि महिलाएँ वहाँ गरिमापूर्ण तरीके से अपना जीवन बिता सकें, उनको मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा कानूनी सहायता प्रदान की जा सके और इन स्वाधार-गृहों के माध्यम से उन महिलाओं को भोजन, कपड़े और चिकित्सा जैसी सारी सुविधाएँ दी जा सकें।...(व्यवधान)... सरकार

के द्वारा इन स्वाधार-गृहों के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : अब आप कृपया रुक जाएँ।...(व्यवधान)... हम इस बातचीत को किस तरह से आगे बढ़ाएँ, जब इस तरह का माहौल है? ...(व्यवधान)... अब हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है, इसलिए the House stands adjourned till 11.00 a.m. on Thursday, the 27th December, 2018.

The House then adjourned at fifty-five minutes past two of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 27th December, 2018.